

वांछित न्यूनतम भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 464.700 से कि.मी. 489.00, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या-25 के (लखनऊ-हरदोई रोड) कि.मी. 224.00 कि.मी. 262.50, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या (लखनऊ-सुलतानपुर रोड) (सोमनाथ द्वार-शहीद पथ वॉया अर्जूनगंज) के कि.मी. 3.35 से कि.मी. 10.00, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या (लखनऊ-सुलतानपुर रोड) हजरतगंज चौराहा से मायावती आवास के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 02.00, (लखनऊ-सुलतानपुर रोड) अर्जूनगंज-लिंक शहीद पथ) के कि.मी. 10.00 से कि.मी. 11.50, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या - 24बी (लखनऊ-रायबरेली रोड) के कि.मी. 5.50 से कि.मी. 18.00 एवं राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या - 24बी (लखनऊ-रायबरेली रोड) के कि.मी. 18 से कि.मी. 23.00 तक कुल कि.मी. 90.45 एवं 0.9533 हे0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति माँगी जा रही है जिसकी माँग न्यूनतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

Divisional Forest Officer,
Avadh Forest Division,
P. Lucknow

